तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./10135/2004/जालोर बेरीसाल सिंह बनाम हीरा	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री योगेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी

अधिवक्ता अप्रार्थी को बार बार आवाज लगाई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 09.04.2024

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत कलक्टर महोदय, जलोर द्वारा प्रकरण संख्या–39/2001 बउनवानी बेरीसाल सिंह वगै0 बनाम हीरा वगै0 में पारित आदेश दिनांक 04–03–2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगरानीकार का तर्क है धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता खुलवाने का आवेदन पेश किया था। ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार नहीं था। तहसीलदार ने दिनांक 15–04–2000 को रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दे दिए। जिसके विरुद्ध अपील की, जो रिमांड हुई उसके बाद राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील गलती से पेश की जो वापस लौटाई और उसके बाद यह रिवीजन पेश की है। रास्ता मौके पर नहीं था, अंकन कर दिया। तहसीलदार ने जांच नहीं की है और ना ही रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट आदेश के बाद की है। अतः उक्त आदेश अपास्त किया जावे और रास्ते का अंकन हटाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जालौर के समक्ष प्रस्तुत अपील मे लगी देरी को कंडोन करते हुए निगरानी को अंदर मियाद करने की प्रार्थना की है जो स्वीकार की जाती है और प्रकरण का गुणावगुण पर विनिश्चय निम्न प्रकार किया जाता है।

प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालौर द्वारा तहसीलदार सांचौर के आदेश दिनांक 11–07–2001 की पुष्टि की है। इस आदेश में यह भी उल्लेख है कि हीरा ने तहसीलदार सांचौर के समक्ष रास्ता खोलने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रकरण संख्या– 04/1999

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./10135/2004/जालोर बेरीसाल सिंह बनाम हीरा	नम्बर व तारीख
	दर्ज करते हुए दिनांक 15–04–2000 को आदेश पारित किया और रास्ता खोलने के आदेश दिए। उस आदेश के विरुद्ध बेरीसाल सिंह द्वारा अपील पेश करने पर जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 16–10–2000 को रिमांड किया गया और पक्षकारों की मौजूदगी में विवादित स्थल का मौका देखकर पर जांच करने के पश्चात ही आदेश पारित करने के आदेश दिए गए। उसके पश्चात तहसीलदार, सांचौर ने मौका जांच और प्रस्तुत पक्षकारों के बयान लेने के पश्चात दिनांक 11–07–2001 को आदेश पारित किया है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि ‘‘न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस, नकल दिनांक 24–05–2001 में वर्णित रास्ते को ए से बी, सी से डी को बंद करना पाया है और जाने के रास्ते को खोलने के आदेश दिए गए हैं अर्थात् न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को सही पाया है और दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका खारिज की जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय प्रति मय अभिलेख नियमानुसार भिजवाई जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	